



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

वन भवन, डोरण्डा, राँची

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-07/2020-57 दिनांक : 27/01/21

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ जामताड़ा वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल **रु0 754.829 लाख (सात करोड़ चौवन लाख बेरासी हजार नौ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-22/स्वी0 व0प0 दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0-32/2020-37/आ0 व0प0 दिनांक 21.01.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 754.829 लाख (सात करोड़ चौवन लाख बेरासी हजार नौ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	533.740
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	221.089
कुल :-		754.829

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103 एवं 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।
11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैंम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।
13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।
14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।
(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।
(vi) योजना का व्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-07/2020- 57 दिनांक- 27/01/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/राँची/ गुमला/जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-07/2020- 57 दिनांक- 27/01/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ दुमका/ लातेहार/ गढ़वा/ साहेबगंज/ गुमला/ जामताड़ा/ सरायकेला-खरसावां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			47955.10	19864.36	67819.46
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सा०वा० प्रमण्डल, राँची	150	✓ 71.932	✓ 29.797	101.729
2	सा०वा० प्रमण्डल, आदित्यपुर	125	✓ 59.943	✓ 24.830	84.773
3	सा०वा० प्रमण्डल, चाईबासा	100	✓ 47.955	✓ 19.864	67.819
4	सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	200	✓ 95.910	✓ 39.729	135.639
5	सा०वा० प्रमण्डल, लातेहार	120	✓ 57.546	✓ 23.837	81.383
6	सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	100	✓ 47.955	✓ 19.864	67.819
7	साहेबगंज वन प्रमण्डल	68	✓ 32.609	✓ 13.508	46.117
8	दुमका वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
9	राँची वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
10	गुमला वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
11	जामताड़ा वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
12	सरायकेला वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
योग :-		1113	533.740	221.089	754.829

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
			सा०वा० प्रक्षेत्र, खूँटी	कर्ग	कर्ग-42	उहकेला	N-23 ⁰ 04'11" E-85 ⁰ 03'55"	752, 758, 967, 973, 1005, 1029, 1841, 1842	30
			सा०वा० प्रक्षेत्र, तमाड़	सिल्ली	सिल्ली-09	अजयगढ़	N-23 ⁰ 42'52" E-85 ⁰ 45'06"	3, 4, 46, 154, 156, 393	50
1	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	सा०वा० प्रक्षेत्र, लोहरदगा	कुडू	कुडू-48	गितीलाढ़	N-23 ⁰ 28'05" E-84 ⁰ 53'47"	372	40
					कुडू-19	विश्रामपुर / विश्रामगढ़	N-23 ⁰ 33'35" E-84 ⁰ 46'34.1"	258	30
योग :-									
					घाटशिला-717	कदमडीहा		1, 181, 293	30
2	जमशेदपुर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	सा०वा० प्रक्षेत्र, घाटशिला		घाटशिला-1289	सरसाबेड़ा		आर०एफ०	45
					घाटशिला-1205	बड़बांकी		आर०एफ०	50
योग :-									
									125
			सा०वा० प्रक्षेत्र, झींकपानी		कोल्हान-218	इपिलसिंगी		2817, 2818, 2819	50
3	चाईबासा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	सा०वा० प्रक्षेत्र, मझगाँव		कोल्हान-381	हलिया		1163, 1144, 1137, 1140, 1, 2, 198, 21	50
योग :-									
									100
4	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	सा०वा० प्रक्षेत्र, शिकारीपाड़ा	रानेश्वर	आमजोड़ा-15	बाँसबोना	N-24 ⁰ 00'59.4" E-87 ⁰ 20'57.2"	1, 19, 429, 915	25
			सा०वा० प्रक्षेत्र, दुमका		आमजोड़ा-21	शाकाकान्दर	N-24 ⁰ 01'38.1" E-87 ⁰ 21'03.6"	19, 49, 78	
					रांगामसलिया-6	झुझको	N-24 ⁰ 10'51" E-87 ⁰ 09'48"	1, 449, 450, 480, 853, 870, 1054, 1085	25
					गोड़माला-01	दुमदुगी	N-24 ⁰ 05'51" E-87 ⁰ 11.28"	1	45

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	धाना / धाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
					गोरमाला-14	पहाड़पुर	N-24° 05'51" E-87° 12'16"	1, 1260, 1286, 1343, 1352	25
				जामा	लकड़ापहाड़ी-34	मटखोरे	N-24° 19'38.1" E-87° 15'03.6"	7, 8, 9, 520, 521	30
		सा०वा० प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	काठीकुण्ड	नारायण-19	बामनागटी		N-24° 39'03.47" E-87° 38'22.85"	1/पी०, 4/पी०, 32/पी०, 33, 31, 80/पी, 81/पी०, 82/पी०, 83, 84, 85, 86, 87/पी, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168/पी०, 173/पी०, 181/पी०, 182/पी०, 291, 308/पी०	30
				रामगढ़	भालसुमर-20	बोडेया	N-24° 31'13.3" E-87° 01'03'0.8"	2362, 2305, 2351, 2342, 2343	20

योग :-

200

5	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	सा०वा० प्रक्षेत्र, लातेहार	मनिका	लातेहार-168	मटलौंग	N-23° 52'38" E-84° 26'25"	01, 02, 1074, 351, 1083, 352, 353, 356, 359, 360, 1086	50
			सा०वा० प्रक्षेत्र, बालूमाथ	हेरहंज	बालूमाथ-109	हुण्डरा	N-23° 53'18" E-84° 43'49"	1, 117, 118, 120, 121, 122, 144	40
			सा०वा० प्रक्षेत्र, जालटनगंज	पांकी	पांकी-578	बोरोदीरी	N-24° 00'49.3" E-84° 32'07.95"	183, 227, 228	30

योग :-

120

6	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	नगर	नगर	गढ़वा-03	कुम्भा खुर्द	N-24° 19.1240 E-83° 25.8380	300, 302	50
			गढ़वा	रंका	जालटनगंज-71	छतवा	N-24° 01.641" E-83° 52.687"	2पी०, 5पी०, 52	50

योग :-

100

7	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	बड़हरवा दामिन प्रक्षेत्र, बड़हरवा	बोरियो	बोरियो-35 बोरियो-10 / पी०	सरसा चतरा गोरेधीवा	N-25° 10'44.64" E-87° 41'42.96" N-25° 33'35.15" E-87° 64,70,29'	51, 134, 153, 198, 202, 301, 336, 355, 327, 346 163, 166, 221, 232	30 38
---	----------	--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------	-----------------------	--	---	----------

योग :-

68

8	दुमका	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका	जामा	फलझरी-50	अहलाददुमरिया	N-24° 15'24.8" E-87° 07'41.2"	1, 2, 11, 44, 117, 224, 263	25
---	-------	--------------------------	---------------------------------	------	----------	--------------	----------------------------------	-----------------------------	----

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	शाना / शाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
			हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका	रानेश्वर	धनबासा-18	रेशमा	N-24° 09'22" E-87° 24'34.5"	99, 636, 1136, 1138, 740, 779, 805	25
योग :-									
9	राँची	राँची वन प्रमण्डल, राँची	राँची पश्चिमी वन क्षेत्र, कांके बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर		ओरमांझी-01	चन्दा	N-23° 53'77.4" E-85° 34'21.83"	211, 271	25
						लवागाढा	N-23° 35'22.77" E-85° 55'58.09"	327, 416	25
योग :-									
10	गुमला	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	गुमला वन क्षेत्र	सिसई	सिसई-59	समल		27, 42, 43, 49, 75, 111, 119, 149, 287, 521, 626, 572	50
योग :-									
11	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	नाला	नाला	गोडिया-41	मडाली	N-23° 53.370" E-086° 56.060"	1053, 2366, 2370, 2371	12
					गोडिया-42	मोहनपुर	N-23° 52.200" E-086° 56.370"	1847, 1918	11
			नारायणपुर	नारायणपुर		जगलपुर	N-24° 02.210" E-086° 29.420"	25, 228, 257, 403, 412, 413	27
योग :-									
12	सरायकेला-खरसावां	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	सरायकेला चाण्डिल	सरायकेला चाण्डिल	सरायकेला-168	कृष्णापुर	N-22° 47'47" E-85° 54'42"	74पी०	25
			चाण्डिल	चाण्डिल	चाण्डिल-331	डोबो	N-23° 51'0.783" E-86° 9'44.13"	234, 1137, 1143, 1155, 1231	25
योग :-									
सकल योग :-									
									1113

अपर प्रधान मुख्य वन सारक्षक, विकास
 शारखंड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वितीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-07/2020/57

दिनांक - 27-Jan-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71527	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	7,193,200.00 रुपये इकहत्तर लाख तिरनावे हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71531	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	5,994,300.00 रुपये उनसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

13,187,500.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड इकतीस लाख सित्यासी हजार पाँच सौ

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71538	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	4,795,500.00 रुपये सैतालीस लाख पिनचानवे हजार पाँच सौ
	State Scheme : Central Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) NA		
4	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71545	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S.) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	9,591,000.00 रुपये पिनचानवे लाख इनकानवे हजार
	State Scheme : Central Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) NA		
5	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71551	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR	5,754,600.00 रुपये सत्तावन लाख चौपन हजार छः सौ
	State Scheme : Central Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) NA		

योग:

20,141,100.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड तैतीस लाख अठाइस हजार छः सौ

33,328,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71556	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	4,795,500.00 रुपये सैतालीस लाख पिनचानवे हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
7	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71558	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	3,260,900.00 रुपये बत्तीस लाख साहठ हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71564	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	2,397,800.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

10,454,200.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड सैतीस लाख बयासी हजार आठ सौ


43,782,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71604	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	2,397,800.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार आठ सौ
10	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71611	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	2,397,800.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार आठ सौ
11	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71615	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	2,397,800.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार आठ सौ

योग:	7,193,400.00
क्रमिक योग:	रुपये पाँच करोड नौ लाख छहत्तर हजार दो सौ 50,976,200.00


(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71621	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	2,397,800.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार सात सौ
13	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71626	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	2,979,700.00 रुपये उन्तीस लाख उन्नासी हजार सात सौ
14	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71628	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	2,483,000.00 रुपये चौइस लाख तिरयासी हजार

योग:

7,860,500.00

क्रमिक योग:

रुपये पॉच करोड अठयासी लाख छत्तीस हजार सात सौ

58,836,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71630	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,986,400.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार चार सौ
16	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71635	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S.) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	3,972,900.00 रुपये उनचासीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ
17	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71639	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR	2,383,700.00 रुपये तेइस लाख तिरयासी हजार सात सौ

योग: 8,343,000.00

क्रमिक योग: रुपये छः करोड इकहत्तर लाख उन्नासी हजार सात सौ 67,179,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71641	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	1,986,400.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार चार सौ
19	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71652	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,350,800.00 रुपये तेरह लाख पचास हजार आठ सौ
20	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71654	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ

योग:

4,330,400.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड पंद्रह लाख दस हजार एक सौ

71,510,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71657	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ
22	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71659	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ
23	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71662	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ

योग:

2,979,600.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड चवालीस लाख नवासी हजार सात सौ

74,489,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240601796580323	71665	SKLFOR001	993,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ADITYA NARAYAN	रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग		D. F. O.	सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		SERAIKELLA-KHARSA	
	03 - प्रशासनिक व्यय		WAN	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		

योग:

993,200.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड चौपन लाख बयासी हजार नौ सौ

75,482,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND